

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2628/2026

Naresh Valmiki S/o Shyam Lal, Aged About 50 Years, R/o Nada Khada, P.s. Surajpole, District Udaipur At Present Samta Nagar, Bedala, P.s. Sukher District Udaipur. (Presently Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Surya Deep

For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

25/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना महामंदिर जिला जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 498/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 111(1)(3)(4)(5) बी.एन.एस. व धारा 3/25 (1-बी) (ए) आर्म्स एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है एवं प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में से 21 मामलों में प्रार्थी-अभियुक्त दोषमुक्त करार दिया गया और प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 08.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। ऐसी सूरत में इस मामले में विचारण में समय लगने की संभावना होना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

06. इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण

के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **नरेश पुत्र श्यामलाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

132-mayank/-